



कार्यालय नगरपालिका मिगम, इन्दौर (म.प्र.)



युक्त



रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

919/का.से./2016/इन्दौर

दिनांक 26 MAY 2016

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956/ मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्त) नियम 1998 के अधीन

निम्नालिखित शर्तों के अधीन श्री/श्रीमती/मेसर्स श्री/श्रीमती/मेसर्स श्री/श्रीमती/मेसर्स श्री/श्रीमती/मेसर्स श्री/श्रीमती/मेसर्स

श्री देवेन्द्र दाश्रीत

कार्यालय/निवास 309 इकाई टिबिन, 16-17 ए.डी. रोड, इन्दौर.

नगर तथा तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर का एतद् द्वारा कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है:-

1. यह पंजीयन नगर पालिका निगम इन्दौर क्षेत्र के लिए है।
2. प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी / भवन/प्रकोष्ठ निर्माण के पूर्व नियमानुसार अनुमति नगर पालिका निगम इन्दौर से प्राप्त करना होगी।
3. प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्य का प्रारंभ करने के अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।
4. कालोनाईजर (भवन निर्माता) द्वारा मूलभूत सेवाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, मल वहन, कचरा इत्यादि के उपबंध करना अनिवार्य होगा।
5. निर्मित की जाने वाली कालोनी/भवन/ प्रकोष्ठ में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कालोनाईजर (भवन निर्माता) को करना होगी।
6. नये अध्यक्ष/प्रबंधक/डायरेक्टर/भागीदार की पद स्थापना एवं पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की स्थिति में आयुक्त नगर पालिका निगम इन्दौर को अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।
7. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगा।
8. सहकारी गृह निर्माण संस्था होने की दशा में 90 दिन की कालावधि में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया समझा जावे।
9. कॉलोनी/भवन निर्माण/विकास कार्य में भूखण्डों/प्रकोष्ठों का आवंटन करने का करार की पात्रता तब ही होगी जब नियमानुसार अनुमति नगर पालिका निगम से प्राप्त कर ली जाती है।
10. पर्यावरण संरक्षण के नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगी।
11. नियम एवं अधिनियमों के प्रावधानों अंतर्गत किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने की स्थिति में रुपये 5 लाख की जमा बैंक गारंटी राजसात की जा सकेगी तथा दण्डनीय प्रावधानों के अधीन वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
12. आवेदन में दी गई जानकारी असत्य होने अथवा छिपाये गये तथ्यों की स्थिति में तथा किसी प्रकार के विवाद या आपत्ति आने पर जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

स्थान : इन्दौर

दिनांक 26 MAY 2016



आयुक्त 2515116

नगर पालिका निगम, इन्दौर (म.प्र.)